भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न सं. 87***

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

**आयुष आधारित चिकित्सा पर्यटन**

*87. श्री बैजयंत पांडा:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन्स (आईसीएचआई) के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के साथ हाल ही में हुए समझौते से आयुष आधारित चिकित्सा पर्यटन में सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पारंपरिक चिकित्सा में गुणवत्ता आश्वासन के संबंध में हाल ही में भारत-इंडोनेशिया भागीदारी जैसे सहयोगों की संभावना तलाशी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ओडिशा जैसे राज्यों को आयुष अवसंरचना के लिए सहायता सहित इस ढांचे का लाभ उठाने में मदद करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**<u>उत्तर</u>**

**आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**लोक सभा में 25 जुलाई, 2025 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 87* के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) और (ख) आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के बीच दिनांक 24 मई, 2025 को आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर समग्र दृष्टिकोण और ध्यान केंद्रित करने के साथ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन्स (आईसीएचआई) के तहत पारंपरिक चिकित्सा उपचार श्रेणियां और सूचकांक विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन्स (आईसीएचआई) के तहत एक समर्पित पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल पर काम की शुरुआत का प्रतीक है। यह गतिविधि वैज्ञानिक वर्गीकरण और अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा समर्थित वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल सेवा की मुख्यधारा में पारंपरिक ज्ञान की अपनी समृद्ध विरासत को शामिल करने के भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशन्स (आईसीएचआई) के लिए पारंपरिक चिकित्सा उपचार श्रेणियों एवं सूचकांक का यह विकास आयुष उपचारों के वैश्विक मानकीकरण तथा मान्यता को सुनिश्चित करता है। विदेशी नागरिकों के लिए आयुष (एवाई) वीजा की एक नई पहल भी की गई है। ये सभी पहलें वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल सेवा में आयुष पद्धतियों की विश्वसनीयता, पहुंच और एकीकरण को बढ़ाती हैं और आयुष आधारित चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देती हैं।

(ग) और (घ) इंडोनेशिया गणराज्य के इंडोनेशियन फूड एंड ड्रग अथॉरिटी और भारत गणराज्य के आयुष मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग के बीच पारंपरिक चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 25 जनवरी, 2025 को हस्ताक्षर किए गए और इसका आदान-प्रदान किया गया। अब तक, किसी भी देश के साथ परम्परागत चिकित्सा गुणवत्ता आश्वासन पर कोई अन्य सहयोग विचाराधीन नहीं है।

(ङ) आयुष मंत्रालय देश भर में, जिसमें ओडिशा जैसे राज्य भी शामिल हैं, पारंपरिक औषधियों सहित आयुष पद्धति के समग्र विकास, संवर्धन और गुणवत्ता आश्वासन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित कर रहा है। एनएएम के अंतर्गत, मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को एनएएम के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत की गई राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के तहत विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में मदद करता है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए प्रावधान करता है:-

(i) मौजूदा आयुष औषधालयों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन करके आयुष स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) के नाम से जाना जाता है, का संचालन।

(ii) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना।

(iii) मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन।

(iv) मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए/जीर्ण-शीर्ण आवास) के लिए भवन का निर्माण/उस क्षेत्र में नए आयुष औषधालय की स्थापना हेतु भवन का निर्माण जहां आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

(v) 10/30/50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना।

(vi) सरकारी आयुष अस्पतालों, सरकारी औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति।

(vii) आयुष जन-स्वास्थ्य कार्यक्रम।

(viii) उन राज्यों में नए आयुष कॉलेजों की स्थापना करना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

(ix) आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों और आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों का ढांचागत विकास/पीजी/फार्मेसी/पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों में वृद्धि।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के माध्यम से ओडिशा राज्य को प्रदान की गई सहायता की स्थिति संलग्नक में दी गई है।

*****

**संलग्नक**

**राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के माध्यम से ओडिशा राज्य को प्रदान की गई सहायता की स्थिति**

**1. वर्ष 2014-15 से 2024-25 के लिए जारी की गई अनुदान सहायता (जीआईए) और सूचित किया गया व्यय**

**(रुपए लाख में)**

| क्र. सं. | अनुमोदित/स्वीकृत /आवंटित धनराशि | जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा | जारी किया गया राज्य का मैचिंग हिस्सा | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा सूचित व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | केंद्रीय हिस्सा | राज्य हिस्सा | कुल व्यय |
| 1. | 18024.79 | 11079.39 | 6945.40 | 9035.69 | 5605.55 | 14641.24 |

**2. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एनएएम के तहत अस्पतालों और औषधालयों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के लिए स्वीकृत अनुदान सहायता**

**(रुपए लाख में)**

| क्र. सं. | अस्पताल | | औषधालय | |
|---|---|---|---|---|
| | इकाइयों की संख्या (कुल) | स्वीकृत धनराशि | इकाइयों की संख्या (कुल) | स्वीकृत धनराशि |
| 1. | 9 | 11.25 | 2302 | 1073.49 |

**3. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना**

**(रुपए लाख में)**

| क्र. सं. | आवर्ती इकाइयों की संख्या (कुल) | स्वीकृत धनराशि | अनावर्ती इकाइयों की संख्या | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 4500 | 2206.66 | 0 | 0.00 |

**4. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना**

**(रुपए लाख में)**

| क्र. सं. | आवर्ती इकाइयों की संख्या (कुल) | स्वीकृत धनराशि | अनावर्ती इकाइयों की संख्या | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 1226 | 651.63 | 0 | 0.00 |

**5. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना**

**(रुपए लाख में)**

| क्र. सं.. | आवर्ती इकाइयों की संख्या (कुल) | स्वीकृत धनराशि | अनावर्ती इकाइयों की संख्या | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | 51.00 | 2 | 80.00 |

**6. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक आयुष अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन**

(रुपए लाख में)

| क्र. सं. | आयुष अस्पतालों का उन्नयन | | | | आयुष औषधालयों का उन्नयन | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवर्ती इकाइयों (अस्पतालों) की संख्या | स्वीकृत धनराशि | अनावर्ती इकाइयों (अस्पतालों) की संख्या | स्वीकृत धनराशि | आवर्ती इकाइयों (औषधालयों) की संख्या | स्वीकृत धनराशि | अनावर्ती इकाइयों (औषधालयों) की संख्या | स्वीकृत धनराशि |
| 1. | 38 | 190.51 | 2 | 85.00 | 2369 | 236.90 | 56 | 1120.00 |

**7. वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना के लिए स्वीकृत अनुदान**

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | स्थान (जिला) | चिकित्सा पद्धति | बिस्तरों की संख्या | स्वीकृत/आबंटित निधियां (रुपए लाख में) | स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ओडिशा | ढेंकनाल | आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | 50 | 800.00 | निर्माण कार्य पूर्ण |
| | | बेहरामपुर | आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | 50 | 800.00 | निर्माणाधीन |
| | | बालासोर | आयुर्वेद, होम्योपैथी और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा | 50 | 400.00 | निर्माणाधीन |

**8. अनुमोदित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) और कार्यात्मक एएएम (आयुष) की संख्या**

| क्र. सं. | अनुमोदित एएएम (आयुष) | कार्यात्मक एएएम (आयुष) |
|---|---|---|
| 1 | 422 | 422 |